Title: Discussion on the Compulsory Voting Bill, 2004, moved by Shri Bachi Singh Rawat. (Under consideration).

17.24 hrs.

COMPULSORY VOTING BILL,2004

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up Item No.38. The time allotted for this Bill is only two hours.

Shri Bachi Singh Rawat.

श्री ्बची ्सिंह रावत 'ुबचदा' (अल्मोड़ा) : माननीय ्सभापति महोद्य, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि देश में मतदाताओं द्वारा अनिवार्य मतदान करने और उससे ्सम्बन्धित

वि्यों का उप्बंध करने ्वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

्यह एक नई ्सोच नहीं है, न्या विचार नहीं है, ्बल्कि दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में लग्भग 33 देश ऐसे हैं, जिनमें अनिवार्य मतदान किये जाने की व्यवस्था कानून के द्वारा अथ्वा ्संवैधानिक व्यव्स्था के द्वारा ्वहां की गई है और उसमें अनेक देश ्शामिल हैं, जिनमें ्बहुत क्ड़ा प्रति्बन्ध इस माय्ने में है कि ्यदि मतदान नहीं किया जाता और मतदान नहीं करने का कोई ्युक्ति्युक्त कारण ्वहां के मतदाना के द्वारा नहीं दिया जाता तो उसमें दण्ड का प्रावधान अथ्वा ्वेतन कटौती का प्रावधान दिया ग्या है।

इसमें प्रमुख देश आस्ट्रेलिया, ्बेल्जि्यम, ्साइप्रस, फिजी, लग्जम्बर्ग, सिंगापुर, स्विटजरलैंड, ऊरग्वे, अर्जेंटीना आदि हैं। मैंने जिन 33 देशों का जि्क्र किया, उनमें इटली भी ्सम्मिलित है जिसमें अनिवार्य ्रूप ्से मतदान किये जाने का प्रावधान किया ग्या। उनमें ्से कुछ देशों ने ्समय-्समय पर इसमें परिवर्तन किया। चूंकि ्भारत की आजादी के ्बाद हमारा जो ्संविधान निर्मित हुआ, उसके ्भाग 15 में आर्टिकल 324 ्से 329 तक नि्वाचन की पूरी प्रक्रिया दी ग्यी है कि उन्हें मतदान का पूरा अधिकार होगा और नि्वाचन आ्योग मतदान की व्यव्स्था करेगा। नागरिक के अधिकारों में मतदान देने का प्रमुख अधिकार दिया ग्या है। ्भाग-2 में ्भारत की नागरिकता का उल्लेख किया ग्या है। मूल अधिकारों के ्बाद ्भाग 4(ए) ्बाद में जो्ड़ा ग्या। नागरिक के मूल कर्त्व्यों में अनुच्छेद 51 (ए) में परि्भाि्त किया ग्या। लेकिन मतदान न मैनडेटरी हुआ न कर्त्व्य के ्रूप में ही उसे परि्भाि्त किया ग्या कि उसका कोई कर्त्व्य ्या दायित्व रहे कि ्वह मतदान में हि्स्सा ले।

अ्भी इतने चुना्वों के ्बाद हम 14वीं लोक ्सभा में आ्ये हैं। चुना्व का दुखद पहलू है कि ्वास्ति्वक ्रूप ्से मतदान करने ्वाले मतदाताओं का प्रति्शत घटा है। दिल्ली जै्सा प्रदे्श, जो देश की राजधानी है, ्यहां लग्भग 30-32 प्रति्शत मतदाताओं ने ही मतदान में ्भाग लि्या और उसी के आधार पर फै्सला किया ग्या। हमारी जो लोकतांत्रिक व्यव्स्था है, ्सरकार है, ्वह कै्से चुनी जानी है और ्बाकी का जो ्बहुमत था, उसकी कहीं कोई ्सीधी ्भागीदारी नहीं रही। ्यह उचित ्समय है ज्बकि हम इस वि्य में ्वृहत्त तरीके ्से विचार करें और विचार करने के ्बाद इस विधेयक को ्बल प्रदान करते हुए पारित करें कि देश के ्भीतर जितने मतदाता हैं, उन मतदाताओं का मतदान के प्रति अनिवार्य ्रूप ्से दायित्व ्बने। हां, ्यदि कि्सी व्यक्ति को गं्भीर ्रूप ्से कोई ्बीमारी हो, मैं ्बहुत छोटा विधेयक लेकर आ्या हूं, ्यदि ्वह उस ्बीमारी ्से ्शारीरिक ्रूप ्से अ्शक्त हो जा्ये और उसका मेडिकल ्सर्टीफिकेट अधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रमाणित और परिलक्षित होता है कि कोई ्युक्ति्युक्त कारण है, जि्सकी ्वजह ्से ्वह मतदाता मतदान नहीं कर ्सका, ऐसी स्थिति में उसको पूरी तरह ्से छूट रहनी चाहिए। इसके विपरीत ्वेतन की कटौती ्या ्सरकार की पदोन्नति में विल्ंब जै्से ्भ्य के लिए छोटा ्सा दंडात्मक विधान होना चाहिए। न के्वल दंडात्मक ्बल्कि दूसरी ओर प्रोत्साहन देने के लिए धारा-4 में उल्लेख किया ग्या है कि जो ्सरकारी कर्मचारी है, ्यदि ्वह लगातार पिछले 20 व्षों ्से मतदान में ्भाग लेता आ्या है और ्बीमारी के ्बा्वजूद उसने मतदान में ्भाग लि्या है तो उसको ्से्वा में अधिमान दिया जा्ये। उच्च तकनीकी शिक्षण ्संस्थाओं में ऐसे व्यक्ति्यों को प्रवे्श में अधिमान दिया जा्ये। अन्य प्रोत्साहन, जि्सके लिए केन्द्र ्सरकार नि्यम निर्धारित कर ्सकती है, â€¦ (व्यवधान)

प्रो. रा्सा ्सिंह रावत : ्सभापति महोद्य, इस विधेयक ्से ्संबंधित मंत्री कौन हैं ? â€¦ (व्यवधान)

ग्रामीण विका्स मंत्री :आपकी ्बात हम ्सुन रहे हैं। इसके अला्वा लॉ मिनि्स्टर ्भी ्बैठे हुए हैं। â€¦ (व्यवधान)

्सभापति महोद्य : ्बची ्सिंह जी, आप अपना ्भा्ण आगे जारी रख ्सकेंगे, इसके लिए जो नि्यत ्समय होगा, उसमें ्यह विधेयक फिर ्से ला्या जा्येगा। अ्ब हम आधे घंटे की चर्चा ले रहे हैं।